मुख्य न्यायाधीश के आदेश को अगर तहसीलदार स्तर का अधिकारी भी नहीं मानता तो न्यायपालिका की वखत रह गई?

कोटपूतली में सरकार ने सड़क चौड़ा करने के नाम पर बिना सूचना दिये, बिना मुआवज़ा दिये दुकान व रिहायशी मकान तोड़ने का क्रम जारी रखा

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 22 अगस्त। कोटपूतली नगर परिषद के अधिकारियों ने छः अगस्त से शुरू हुई तोड़-फोड़ की कार्यवाही को जारी रखते हुए, रविवार सुबह को फिर से कई इमारतों को गिराया। हैरानी की बात यह रही कि नगर परिषद के कर्मचारी और अधिकारियों ने आज भी तोड़-फोड़ करने से पहले कानूनी प्रक्रिया की पूरी तरह से अवहेलना की और उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर चुके लोगों की इमारतें भी तोड़ दी और किसी व्यक्ति को तोड़-फोड़ से पूर्व नोटिस भी नहीं दिया।

जैसा कि विदित है पिछले वर्ष दिसंबर माह में कोटपूतली क्षेत्र की तत्कालीन नगर पालिका ने सरदार विद्यालय रोड और "हाई-वे" से संलग्न मुख्य चौराहे के आसपास रहने वाले लोग तथा दुकानदारों को अवैध निर्माण स्वयम् हटाने के लिए नोटिस दिया था। परन्तु नोटिस में कौनसी इमारतें अवैध हैं इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दी थी।

नगर पालिका के नोटिस के खिलाफ 32 पार्टियों ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकल पीठ ने आदेश दिये थे कि नगर पालिका इन 32 पार्टियों को नोटिस भेजकर 30 दिन में इन पार्टियों की आपत्तियाँ सुने और फिर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही इमारतें हटाने की कार्यवाही करे। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नगर पालिका को किसी भी इमारत के खिलाफ कार्यवाही करने से पूर्व 15 दिन का समय देना होगा, ताकि नगर पालिका के निर्णय के खिलाफ भी लोगों को उपयुक्त अदालत में चुनौती देने का समय दिया जा सके।

उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की अदालत ने कोटपूतली नगर पालिका की सभी 32 पार्टियों को सुरक्षा देते हुए अपने आदेश में यह भी कहा था कि जब तक नगर पालिका सभी लोगों की आपत्तियों को सुनकर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कोई निर्णय नहीं ले लेती है, तब तक उसे सभी इमारतों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखनी है।

कोटपूतली की नगर पालिका को हाल ही में नगर परिषद घोषित यिा गया है। परन्तु क्या नगर परिषद के अधिकारी, मुख्य तौर पर इसके कमिश्नर फतेह सिंह मीणा, उच्च न्यायालय के आदेशों को पढ़ना तो दूर, बिल्कुल ही दरकिनार करने लगे हैं?

गौरफरमाने योग्य है कि, कमिश्नर फतेह सिंह मीणा, मीडिया में तो बार-बार बयान दे रहे हैं कि वे हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, परन्तु हाई कोर्ट के आदेश अनुसार किसी भी मकान मालिक या दुकानदार पर कार्यवाही करने से पूर्व कोई भी नोटिस नहीं दे रहे हैं। यही नहीं 18 अगस्त को ही इसी मामले से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश वकील ने माना था कि नगर पालिका ने किसी भी दुकानदार या मकान मालिक को उसकी आपत्ति सुनने के लिए नहीं बुलाया, तो यह कैसे माना जाये कि नगर परिषद ने सभी तथ्यों को समझकर इमारतें तोड़ने का फैसला किया है? और अगर फैसला कर भी चुकी है तो लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया गया? और क्यों देर रात, चोरों की भांति लोगों को बेघर कर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है?

- **तोड़-फोड़ के खिलाफ न्यायालय के आदेश लेकर जब कुछ पीड़ित अधिकारियों के पास पहुंचे तो एक अधिकारी ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश को नहीं मानते।**
- **इसमें एक समझदार अधिकारी ने पीड़ितों से कहा कि, अगर नगर निगम ने आपको नोटिस नहीं दिया तो आप न्यायालय के आदेश की अवमानना की याचिका दायर कीजिये।**
- **वहीं बिना नोटिस, बिना मुआवज़ा और बिना सुनवाई के सरकार का रिहायशी मकान व व्यवसाई दुकान तोड़ने का क्रम जारी रहेगा।**

राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल बैंच में याचिका दायर करने वाले 32 याचिकाकर्ताओं में अशोक कुमार शर्मा भी थे, परन्तु नगर परिषद ने उनकी इमारत भी तोड़ दी और उन्हें कार्यवाही करने से पूर्व कोई नोटिस भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कई दिनों से प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बनाया हुआ था और पुलिस तथा अन्य अधिकारी लाकर लाऊड स्पीकर के माध्यम से इमारतें गिराने की चेतावनी देते हैं, "परन्तु किसी भी व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया गया था।" उन्होंने बताया कि उनके परिवार को उक्त भूमि पर रहने के लिए खेतड़ी महाराज ने पट्टे दिये थे, जिसे उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों दे दिया था। और उन्हें यह बताया गया नगर परिषद के अधिकारी उनकी भूमि के विषय में निर्णय लेंगे, "परन्तु बिना कोई नोटिस दिये मेरे मकान को तोड़ दिया गया।" अशोक कुमार शर्मा के अलावा, आलोक अग्रवाल और गोविंद नारायण शर्मा को भी उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपने आदेश में राहत दी थी और तत्कालीन नगर पालिका को कहा था कि नगर पालिका उनकी इमारतों पर यथास्थिति बनाए रखे, जब तक उनकी जमीन के विषय में विधिवत् तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जाता, यानि नगर परिषद को भूमि मालिकों की आपत्ति सुनकर उनकी जमीन अवाप्त करके ही इमारत ध्वस्त करनी चाहिये थी। परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

कोर्ट के आदेशों के खिलाफ कोटपूतली में गत 6 अगस्त से शुरू हुई मकानों एवं दुकानों की तोड़-फोड़ की कार्रवाई निरंतर जारी है। रविवार को भी नगर पालिका प्रशासन तोड़-फोड़ की कार्रवाई की।

जब इन याचिकाकर्ताओं में से कई लोग स्थानीय अफसरों से बात करने गये, तो उन्होंने कह दिया कि वह हाई कोर्ट के आदेश को स्थगन आदेश नहीं मानते हैं। इस विषय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर नगर परिषद ने हाई कोर्ट के आदेशानुसार लोगों को नोटिस नहीं दिया था, तो उन्हें नगर परिषद के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करनी चाहिए।

हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं में से चार याचिकाएं हाई कोर्ट में ही मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली खण्डपीठ के समक्ष भी दायर की गईं थी। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश भूपेश बंसल की खण्डपीठ ने अतिक्रमण हटाये जाने के संदर्भ में दिये गये नोटिस को अवैध करार दिया था क्योंकि नगर पालिका के नोटिस में यह नहीं बताया गया था कि कौनसी इमारतें अवैध हैं। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि नगर पालिका ने किसी व्यक्ति की जमीन अवाप्त करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इस मामले में याचिकाकर्ता हरी प्रसाद शर्मा का घर और दुकान नगर परिषद द्वारा तोड़ दी गई। हरी प्रसाद शर्मा के घर वालों का भी यही कहना है कि उनका घर व दुकान तोड़ने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया था। बल्कि उन्हें रविवार सुबह साढ़े चार बजे घर से बाहर निकलने कहा गया और फिर सुबह करीब छः बजे उनके घर व दुकान को गिरा दिया।

एक प्रत्यदर्शी ने कहा कि सुबह करीब 9 बजे नगर परिषद के अधिकारी पहले हरि प्रसाद की दुकान का गेट, शटर तोड़कर और धातु से बना सारा सामान ले गये, "फिर छः बजे उनकी इमारत को तोड़ने की कार्यवाही शुरू की गई।"

इस पूरे प्रकरण में अगर नगर परिषद की बात मानी जाये, कि तोड़ी गई सारी इमारतें विधिवत तरीके से तोड़ी गई है, तो यह कैसे संभव है कि कई लोग अदालत के स्थगन आदेश लाने में सफल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 18 अगस्त को महेन्द्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता सुलोचना को राहत देते हुए नगर परिषद के उस नोटिस पर रोक लगाई थी, जिसके तहत उनका पट्टा खारिज किया जा रहा था। परन्तु 18 अगस्त को ही सुलोचना का मकान भी नगर परिषद ने तोड़ दिया था। वहीं सोमवार को मीनू सोनी को न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल की एकल पीठ से राहत मिली थी और अदालत ने कहा था कि नगर परिषद का दिसंबर में जारी किया गया अवैध इमारतें हटाने का नोटिस गैरकानूनी है, परन्तु मीनू सोनी की भी इमारत नगर परिषद ने सोमवार को ही गिरा दी।

कोटपूतली नगर परिषद अभी तक तीन चरणों में सरदार स्कूल रोड पर करीब एक से डेढ़ किलोमीटर के क्षेत्र में दुकानें व घर तोड़ चुकी है, जिनमें कई लोग ऐसे भी है जिसके पास हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। परंतु इन लोगों के घर व दुकानों को भी प्रशासन ने बिना नोटिस दिये गिरा दिया। इनमें से एक थी जगदीश सैनी की पुत्री रूपा सैनी। रूपा सैनी और उनकी पुत्री को करीब चार बजे घर से निकाला गया और फिर सुबह छः बजे इनके घर को तोड़ा गया। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में एक तोड़ी गई इमारत के पहले फ्लोर पर उनका एक कमरे का घर था। उनकी बेटी अभी नाबालिग है और बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। परन्तु उन्हें घर से निकाला गया और उन्हें बच्चों के साथ सरदार स्कूल में पनाह लेनी पड़ी। प्रशासन तोड़-फोड़ करने के लिए इतना आतुर है कि कोटपूतली का सरदार विद्यालय, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानन्द के आग्रह पर, खेतड़ी महाराजा सरदार सिंह द्वारा 1928 में की गई थी, के मुख्य गेट और दीवार को भी तोड़ दिया है।

कोई किसी पद पर आ गया तो बपौती नहीं समझे, हमेशा उसी की नहीं चलेगी, कांग्रेस में गांधी परिवार कहेगा, वही होगा

रघु शर्मा ने यह नसीहत 4 सितम्बर को दिल्ली में कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित "महंगाई रैली" की तैयारी के लिये रखी गयी वरिष्ठ कांग्रेजन की बैठक में दी

जयपुर, 22 अगस्त (का.प्र.)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेंगे। इसके बाद से राजस्थान में कांग्रेस के दोनों धड़ों के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम भी पार्टी में उच्च पदों के लिए चल रहा है, लेकिन दोनों ही नेता दिल्ली की राजनीति में नहीं जाना चाहते। इस बाबत सोमवार को कांग्रेस के गुजरात प्रभारी डॉ रघु शर्मा ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन मुख्यमंत्री और पूर्व उपमुख्यमंत्री दोनों को ही नसीहत देते हुए कहा कि पद पर आने के बाद किसी को भी खुद को खुदा नहीं समझना चाहिए।

दरअसल सोमवार को जयपुर में कांग्रेस के सभी विधायकों,सांसद प्रत्याशियों और पार्टी पदाधिकारियों को बुलाकर 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली महंगाई के खिलाफ रैली की तैयारियों पर चर्चा होनी थी। इसी बैठक में डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि कोई किसी पद पर आ गया तो उसे बपौती नहीं समझना चाहिए। यह भी नहीं समझना चाहिए कि हमेशा उसी की चलेगी। कांग्रेस में तो सिर्फ गांधी परिवार कहेगा, वही होगा। दरअसल रघु शर्मा के इस बयान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि दोनों ही राजस्थान छोड़कर दिल्ली की राजनीति में नहीं जाना चाहते, जबकि कांग्रेस आलाकमान की ओर से इस बारे में गंभीरता से विचार किया जा रहा है ऐसे समय में रघु शर्मा का यह बयान राजनीतिक रूप से काफी मायने रखता है। दरअसल इस बैठक में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन को भी आना था, लेकिन दोनों ही बैठक में नहीं पहुंचे। ऐसे में इनके नहीं आने को लेकर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है।

- **इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि, कांग्रेसजन की भावना स्वीकार कर राहुल गांधी अध्यक्ष बनें। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो इससे कार्यकर्ताओं को तकलीफ होगी।**

एक और तो रघु शर्मा ने अपनी ओर से नसीहत दी तो दूसरी ओर एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इंकार किया और कहा कि राहुल गांधी को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि देशभर के कांग्रेसजन की भावना है कि राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए।

अगर वह अध्यक्ष नहीं बनते हैं, सभी को तकलीफ होगी और निराश होकर कांग्रेस कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे। गहलोत ने कहा कि पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कई बार बैठकें हो चुकी हैं। उन सब में एक तरफा राय यही बनी है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद की कमान संभालने चाहिए।

गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी परिवार में 30 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। ऐसे में पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से ही बनना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यकारी अध्यक्ष पद के सवाल को टाल गए।

सब तरह से घिरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दैनिक एवं खुदरा मजदूरों को रोजी-रोटी कमाने का अवसर दिया करती हैं। लेकिन यह संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले उन लोगों के लिये बहुत बड़ा तोहफा भी है, जहाँ स्थाई कर्मचारियों का मोटी एवं पूरी तनख्वाह मिलती हैं। उदाहरण के लिये, राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूरे 11 दिन की अवधि का वेतन कोई काम किये बिना ही मिलेगा। ममता की सरकार और पार्टी फिर घिर चुकी हैं। उनके मंत्रिमंडल तथा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की कलई एक-एक कके खुलती जा रही है तथा जबरदस्त भ्रष्टाचार तथा अवैध धन-समत्ति इकट्ठा करने के मामले उजागर होते जा रहे हैं। स्वयं ममता पर भी यह आरोप है कि राज्य के चिटफंड धोखाधड़ी के मामलों में वे भी कहीं न कहीं लिप्त हैं। जब भी उनके सामने अस्तित्व का संकट आता है, ममता बनर्जी उससे बाहर निकलने के लिये विशेष कौशलपूर्ण राजनैतिक खेल जाती हैं। यह अवसर भी कोई अपवाद नहीं है भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े आरोपों का सामना करते हुये, उन्होंने लोगों को यह तर निवाला देकर, उन तक सीधी पहुँच बनाने का कुशल खेल खेला हैं।

खेलों में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को भी एक सप्ताह तक आगे खिसका दिया। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किया कि आई.ओ.ए. की ऐसी हालत ना हो जाए, जैसी कि ऑल इण्डिया फुटबॉल फैडरेशन (ए.आई. एफ. एफ.) की हुई है। उसने कहा कि उसका यह निर्णय फीफा द्वारा ए.आई.एफ.एफ. के किए गए निलम्बन को वापस लेने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

तीस्ता को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ही पूछा कि क्या किसी वकील को इस सुनवाई पर आपत्ति है क्योंकि उन्होंने सोहराबुद्दीन की हत्या के केस में कुछ आरोपियों के केस लड़े थे। इस पर तीस्ता की ओर प्रस्तुत वरिष्ठ एडवोकेट ने कहा, "नहीं"।

जहाँ तक उनके खिलाफ दायर हुई एफ.आई.आर. का सम्बन्ध है, सिब्बल ने कहा कि इसके आरोप उन कार्यवाहियों का शुद्ध कथन या दोहरान हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हुई थी तथा पूर्णता को पहुँची थी।

दिल्ली में फिर से शुरु हुआ किसान आंदोलनकारियों का जमावड़ा

एम.एस.पी., युवा बेरोजगारी एवं अग्निवीर भर्ती किसानों के मुख्य मुद्दे हैं

नई दिल्ली, 22 अगस्त (वार्ता)। कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की सुनिश्चित व्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर किसान संगठनों का सोमवार को ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर जमावड़ा शुरू हो गया था, लेकिन इस आयोजन को लेकर संगठनों के बीच दरार दिखने लगी है।

दिल्ली पुलिस ने किसानों को सभा करने की इजाजत दी थी लेकिन कृषि कानूनों का विरोध करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) में शामिल कुछ संगठनों के नेताओं ने कहा कि उन्हें जहां रोका जायेगा, वे वहीं प्रदर्शन शुरू कर देंगे। इस बीच, संगठनों के बीच दरार का संकेत देने वाले एक घटनाक्रम में स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेन्द्र यादव ने ट्विटर पर बयान में कहा कि एस.के.एम. का जंतर-मंतर पर आज से आयोजित किसान महापंचायत से कोई लेना-देना है।

भारतीय किसान यूनियन (बी.के.यू.) के राकेश टिकैत धड़े ने किसान महापंचायत से अपने को अलग रखने का एलान पहले ही किया था। टिकैत ने कहा, महापंचायत के लोगों ने एस.के.एम. से अपने को अलग कर लिया है, मैं मुजफ्फनगर जा रहा हूं, आज की महापंचायत में शामिल हूं।

- **पर इस बार किसान संगठनों में दरार साफ दिखाई दे रही है। राकेश टिकैत ने इस प्रदर्शन से खुद को अलग कर लिया है तथा संयुक्त किसान मोर्चा को भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होने दिया जा रहा।**

उन्होंने कहा, किसानों के मुद्दे पर हमारा आंदोलन जारी है। हम अपनी मांगों पर बने हुए हैं और आंदोलन करते रहेंगे। टिकैत को दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद की सीमा के पास कल रोक लिया था और उन्हें मधु विहार थाने लाकर गाजीपुर बार्डर के पास वापस छोड़ दिया था। टिकैत ने कहा, उन्होंने एहतियात के तौर पर हमें रोका था।

महापंचायत में पंजाब के भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी गुट) के किसानों का जंतर-मंतर पर पहुंचना जारी था। चढ़ूनी गुट संयुक्त किसान मोर्चे से पहले ही खफा हो चुका है और 31 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चे की भारत बंद मुहिम में शामिल हुआ था। चढ़ूनी गुट पंजाब विधानसभा चुनाव में भी अपना हाथ आजमा चुका है, हालांकि उसे निराशा ही हाथ लगी।

एन.टी.आर. एक बार फिर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तलाश में थे। और इस लिहाज से, जुनियर एन.टी.आर. से बेहतर और कौन हो सकता है। उनका उपयोग पूरे भारत में प्रचार के लिये किया जा सकता है क्योंकि उनकी फिल्में हिन्दी में भी डब होती है तथा ओ.टी.टी. सर्किट्स तथा टी.वी. चैनलों पर खूब चलती हैं।

उनके द्वारा अभिनीत बिल्कुल नई फिल्म, आर.आर.आर. न केवल तेलुगूभाषी राज्यों में ही जबरदस्त हिट रही बल्कि पूरे देश में हिट हुई क्योंकि यह, हिन्दी सहित, कई भाषाओं में एक साथ रिलीज हुई थी।

वाय.एस.आर.सी.पी. के विधायक ने फिल्मी तथा राजनैतिक हल्कों की उन अटकलों को विश्वसनीयता प्रदान की, जो जूनियर एन.टी.आर. के अमित शाह की करीब आधा घंटे तक चली मीटिंग को लेकर लगाई गई थी। वाय.एस.आर.सी.पी. विधायक ने मीडिया कर्मियों को बताया, "जब तक कोई उल्लेखनीय राजनैतिक लाभ दिखाई नहीं देता, तब तक प्रधानमंत्री या अमित शाह किसी व्यक्ति के साथ समय नहीं गुजारते।" गिने-चुने राजनैतिक विश्लेषकों की तरह इस विधायक को भी विश्वास है कि जूनियर एन.टी.आर. अपने वास्तविक जीवन में देश की ऐसी सबसे बड़ी पार्टी के साथ, रोल 'साइन' कर सकते हैं, जिसकी चुनाव रूपी बॉक्स-आफिस पर सफलता सुनिश्चित है।

संयोशवश, तेलंगाना की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट भुनुगोडे के उपचुनावों में, प्रचार करते हुये, एक जनसभा में अमितशाह ने के.सी.आर. तथा उनके परिवार पर जबरदस्त हमला बोला।

स्थानीय भाजपा नेता भी के.सी.आर. की बेटी कविता का सम्बन्ध दिल्ली के उस शराब घोटाले से बता रहे हैं, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मुख्य आरोपी हैं। आंध्र प्रदेश में, केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी पर हमला बोलते हुये कहा कि उनकी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि आन्ध्र प्रदेश सरकार को शराब, जमीन तथा बजरी माफिया चला रहे हैं।

मजेदार बात यह है कि जिस समय एक प्रभावशाली केन्द्रीय मंत्री मुख्यमंत्री पर हमला बोल रहे थे, कल उस में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ जगन मोहन रेड्डी की मीटिंग चल रही थी।

शिव सेना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कश्मीर में कार्यरत गैर कश्मीरियों और जम्मू-कश्मीर में अध्ययनरत छात्रों को वोटिंग का अधिकार दिया जाना चाहिए। यदि चुनाव आयोग अपने प्रस्ताव को मूर्त रुप देता है तो क्षेत्र की मतदाता सूची में 25 लाख नए वोटर जुड़ जाएंगे।

इस मुद्दे पर शिवसेना का रुख विपक्ष के उभरते आकार का सूचक है क्योंकि सेना का यह रुख उसके वर्ष 2019 के रुख से पूर्णतया भिन्न है जब पार्टी ने धारा 370 और अनुच्छेद35 ए को समाप्त करने के सरकार के निर्णय का उत्सव मनाया था।

यह घटनाक्रम राज्य के सभी नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया है क्योंकि गुपकार अलायंस के बैनर तले राज्य के नेताओं की आज हुई मीटिंग में कश्मीर की पार्टियों के अलावा कांग्रेस, शिवसेना और सी.पी.आई. ने भी भाग लिया।

गुपकार अलायंस के नेता इस असंवैधानिक कदम को रद्द करवाने के लिए अदालत की शरण में जाना चाहते हैं और इस कदम का विरोध करने और एक संयुक्त कार्ययोजना बनाने को लेकर उन्होंने मुख्यधारा की पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं को सितम्बर माह में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। पीपल्स कांफ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने तो इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए संसद के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने तक की धमकी दी है।

'मैं राजपूत हूं...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मनीष सिसोदिया के लिए और अधिक पुलिस सुरक्षा की मांग यह आरोप लगाते हुए की है कि दोनों पर प्रहार करने का षड़यंत्र रचा जा रहा है और आप पार्टी की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है, उसे लेकर केन्द्र सरकार नाखुश है।

गुजरात में आप पार्टी का उद्देश्य इस संदेश का प्रचार-प्रसार करना है कि यदि वह आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में सत्ता में आ जाती है तो जनता को गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं हैल्थकेयर सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध करवायीं जाएंगी।

न्यूज़ एजेंसी आई.ए.एन.एस. ने खबर दी है कि गुजरात दौरे के दौरान अपने नेताओं पर हमले की आशंका के मद्देनज़र आप पार्टी ने दोनों नेताओं को और अधिक पुलिस प्रोटैक्शन देने की मांग की है।

आप पार्टी के गुजरात प्रभारी गुलाब सिंह और पार्टी के स्टेट लीगल सैल प्रैसिडैन्ट प्रणव ठक्कर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने रविवार को पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया।

ज्ञापन में कहा गया है कि "सीड़िया के कुछ सूत्रों और माध्यमों द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है कि सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा से प्रभावित कुछ असामाजिक तत्व अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। अत: किसी प्रतिकूल घटना को टालने के लिए पुलिस को केजरीवाल और सिसोदिया के गुजरात दौरे के दौरान अधिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

अरविन्द केजरीवाल ने शनिवार को अपने एक ट्वीट में कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देने के लिए मनीष जी और मैं सोमवार को दो दिन के लिए गुजरात जा रहे हैं। हम दिल्ली की तर्ज पर गुजरात में भी अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और मौहल्ला क्लीनिक्स खोलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अच्छी शिक्षा और मैडीकल उपचार नि:शुल्क प्राप्त करेगा। जनता को बहुत राहत मिलेगी। हम युवाओं से भी बातचीत करेंगे।

शाहनवाज़ हुसैन मामले में सुप्रीम कोर्ट का "स्टे"

नई दिल्ली, 22 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री नेता सैयद शाहनवाज हुसैन पर 2018 के एक कथित बलात्कार की शिकायत पर में प्राथमिकी दर्ज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति यू. यू. ललित, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने प्राथमिकी दर्ज करने के दिल्ली पुलिस को दिए गए आदेश पर रोक लगाने के साथ-साथ पीड़िता की शिकायत पर दक्षिण दिल्ली के साकेत अदालत में पूर्व केंद्रीय मंत्री हुसैन के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर भी रोक लगाने का आदेश दिया।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908